न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 66/2018

: 1. रामनारायण पुत्र श्री गोगा राम जाट
2. रामचन्द्र पुत्र श्री गोगा राम जाट
3. सोहन पुत्र श्री गोगा राम जाट
4. श्योजी राम पुत्र श्री भूरा जाट
5. हीरा राम पुत्र श्री गोपाल जाट
6. रतन पुत्र श्री हरजी राम जाट
7. श्योजी राम पुत्र श्री हरजी राम जाट
8. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाट
9. अखेराम पुत्र श्री बिरदा जाट
10. नोरत पुत्र श्री बिरदा जाट
11. हनुमान पुत्र श्री महादेव यादव
12. भैरू पुत्र श्री महादेव यादव
13. कैलाश पुत्र श्री महादेव यादव

निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामपुरा, पंचायत समिति दूदू जयपुर प्रथम, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर जरिये प्रधानाचार्य हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीरामपुरा

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 29/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक अपीलांट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि आराजी भूमि खसरा नंबर 322 रकबा 07 बीघा वाके ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांभरलेक जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त आराजी भूमि पर लगभग 65–70 वर्षों से आबादी बसी हुई है तथा उक्त आराजी भूमि पर अपीलान्ट्स के मकान बाडे, मवेशियों के बांधने का स्थान व चारागृह आदि बने हुये है तथा

अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

अपीलान्ट्स व अन्य कब्जेधारी लोग उक्त भूमि पर अपने बुजुर्गान के जमाने से आबाद होकर निवास व उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। अपने नाम से विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग उपभोग में ले रहे है। उक्त आबादी भूमि के संबंध में अलॉटमेंट आदेश दिनांक 11.06.1961 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से नामान्तकरण संख्या 341 दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त भूमि पर पिछले 65–70 वर्षो से अपीलांट्स उनके बुजुर्गान व अन्य कब्जेधारियों का कब्जा है। मौके पर बसी हुई आबादी को सुने बिना ही रेस्पोडेंट सख्या 2 के नाम से भूमि का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि पर कोई विद्यालय भवन अवस्थित नहीं रहा है। उपरोक्त भूमि पर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा मिसल संख्या 30 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा आवासीय पट्टा संख्या 8 कैलाश यादव पुत्र श्री महादेव यादव निवासी श्रीरामपुरा व पट्टा संख्या 53 रामचन्द्र पुत्र श्री गोगा राम जाट व अन्य आबाद व्यक्तियों के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टे जारी किये हुये हैं। आराजी भूमि पर लगभग 65–70 वर्षो से आबादी बसी हुई है तथा उक्त आराजी भूमि पर अपीलान्ट्स के मकान, बाडे, मवेशियों के बांधने का स्थान व चारागृह आदि बने हुये है तथा अपीलान्ट्स व अन्य कब्जेधारी लोग उक्त भूमि पर अपने बुजुर्गान के जमाने से आबाद होकर निवास व उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामपुरा खसरा नंबर 322 पर अवस्थित नहीं है तथा उक्त विद्यालय उक्त खसरा नंबर 322 से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भवन व खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। विद्यालय के नाम से श्रीरामपुरा में आराजी खसरा नबर 815/126 रकबा 08 बीघा भूमि पूर्व से ही उपलब्ध है जिस पर ही विद्यालय भवन बना हुआ है एवं खेल मैदान हेतु काफी पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार से खसरा नंबर 322 पर कोई विद्यालय भवन आदि बना हुआ नहीं है व ना ही कोई विद्यालय भवन व खेल मैदान स्थित है। खसरा नंबर 322 व खसरा नंबर 815/126 के मध्य लगभग एक डेढ किलोमीटर की दूरी स्थित है। इस सबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रधानाचार्य के कार्यालय द्वारा दिनाक 06.04.2018 को एक पत्र क्रमांक 2033 जारी करते हुए स्पष्ट रूप से अंकन किया है कि जो भूमि विद्यालय के नाम से आवंटित हुई थी। उस पर काफी वर्षो पूर्व से ही आबादी बसी हुई है तथा उक्त भूमि गांव के मध्य में है व मकान बस चुके है। विद्यालय को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी एक नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 ग्राम पंचायत की बैठक के समक्ष प्रस्तुत हुआ था चूँकि उक्त भूमि पर लगभग 65–70 वर्षो पूर्व से ही आबादी एव मकानात बसे हुये होने के कारण से सर्व सम्मति से कौरम की मीटिंग में नामान्तकरण खारिज किया गया। नामान्तकरण संख्या 211, दिनांक 20.02.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से मौके पर आबादी बसी हुई होने के आधार पर खारिज कर दिया था जिसे सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है एवं उक्त नामान्तकरण भी दिनाक 20.02.1973 के आदेश के अनुसार खारिज किया हुआ है। तहसीलदार सांभर के आदेश दिनाक 28.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त भूमि पर व्यक्तिशः जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भी पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि पर 30 परिवारों के लोगों को आबाद होना व मकानात, पशुओं के लिए बाडे आदि बने होना स्पष्टतया अंकित किया है। उपरोक्त नामान्तकरण रेस्पोडेंट सख्या 2 के कब्जे के अभाव मे किया गया था एवं उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट सख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। रेस्पोडेंट सख्या 1 ने बिना मौके व कब्जे की जाँच किए बिना ही नामान्तकरण तस्दीक करते हुये विधि की भारी भूल की है। उपरोक्त नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही अवैध व शून्य है, क्योंकि उक्त नामान्तकरण से पूर्व एक नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 को मौके पर आबादी बसी होने के आधार पर खारिज किया जा चुका है, चूँकि अवैध व शून्य नामान्तकरण आदेश पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं होता है। अपीलांट्स का अपने बुजुर्गान के समय से 65–70 सालों से कब्जा था व उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वर वक्त नामान्तकरण कार्यवाही अपीलान्ट्स व उनके बुजुर्गान को नहीं सुना गया था

Court to the Addl. Collector

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

इसलिए नामान्तकरण की अपीलांट्स को कभी कोई जानकारी नहीं रही है। दिनांक 15.06.2018 को रेस्पोडेंट सख्या 1 के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलान्ट्स को बेदखल करने हेतु उतारू हो गये। जिसके सबंध में अपीलान्ट्स की ओर से दिनाक 15.06.2018 को नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि पूर्व में खारिज किये गये नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 के बावजूद भी पुनः रेस्पोडेंट सख्या 2 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर खसरा नंबर 322 रकबा 07 बीघा वाके ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर का नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट्स की ओर से अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित है कि उपरोक्त नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही अवैध व शून्य है, क्योंकि उक्त नामान्तकरण से पूर्व एक नामान्तकरण संख्या 211 दिनाक 20.02.1973 को मौके पर आबादी बसी होने के आधार पर खारिज किया जा चुका है, चूँकि अवैध व शून्य नामान्तकरण आदेश पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं होता है। अपीलांट्स का विवादित भूमि अपने बुजुर्गान के समय से 65–70 सालों से कब्जा था व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वरवक्त नामान्तकरण कार्यवाही अपीलान्ट्स व उनके बुजुर्गान को नहीं सुना गया था इसलिए नामान्तकरण की अपीलांट्स को कभी कोई जानकारी नहीं रही है। दिनाक 15.06.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलान्ट्स को बेदखल करने हेतु उतारू हो गये। जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा विरोध प्रकट करने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के कर्मचारियों ने बताया कि इस आबादी भूमि का नामान्तकरण संख्या 341, रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में खोला जा चुका है। इस संबंध में अपीलान्ट्स की ओर से जानकारी कर दिनांक 15.06.2018 को नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि पूर्व में खारिज किये गये नामान्तकरण संख्या 211 दिनाक 20.02.1973 के बावजूद भी पुनः रेस्पोडेंट सख्या 2 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अन्त में अपीलार्थीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को न्यायहित में माफ फरमाते हुये अपील की सुनवाई व कार्यवाही किए जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट ने अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, नकल नामान्तकरण प्रमाणित प्रति सं0 341, पटवारी मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी आबादी भूमि, जमाबंदी विद्यालय भूमि, नकल नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 की प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से पैरोकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि स्थानीय प्राथमिक विद्यालय सन् 2014 में रा0उ0मा0विद्यालय श्रीरामपुरा मे मर्ज हो गया, उक्त प्रकरण में रा0उ0प्रा0विद्यालय के लिये 7 बीघा 1 बिस्वा खसरा संख्या 322/1 द्वारा खेल मैदान हेतु आवंटित हुयी। लेकिन नामजद 26 अतिक्रमियों द्वारा पूर्ण अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत शाला प्रधान द्वारा पत्रांक रा0उ0मा0विद्यालय श्रीरामपुरा 2805/09.05.2018 से उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को सूचित किया गया तथा थानाधिकारी नरैना के पत्रांक 2093/3.6.2018 द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु निवेदन किया गया था। विभाग द्वारा अनुसंधान बाबत

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

दिनांक 28.11.2022 को CBEO दूदू द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी उपस्थित हुये। स्थानीय विद्यालय में दिनांक 28.11.2022 को खेल मैदान की जांच हेतु प्रधानाचार्य GSSS मालेडा व OS श्री सुभाष चन्द्र CBEO कार्यालय दूदू उपस्थित हुये। अतिक्रमण के व्यक्तिगत 26 अतिक्रमियों को नोटिस दिया। अतिक्रमियों से संबंधित कब्जा रिकार्ड दस्तावेज मांगा गया। जिसकी जांच विचाराधीन है।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नं. 322 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम श्रीरामपुरा में अपीलांट व अन्य कब्जेधारी लोग बुजुर्गान के समय से निवास कर रहे हैं तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपीलाधीन आदेश मौके पर बसी हुई आबादी को सुने बिना ही जारी कर दिया गया। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा द्वारा पट्टा संख्या 8 दिनाक 10.07.2017 बहक कैलाश यादव एवं पट्टा संख्या 53 बहक रामचन्द्र जारीशुदा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीरामपुरा खसरा नं. 322 से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित है। उक्त भूमि पर कोई विद्यालय भवन व खेल मैदान स्थित नही हैं। विद्यालय हेतु श्रीरामपुरा में आराजी खसरा नं0 815/126 रकबा 8 बीघा भूमि पूर्व से ही उपलब्ध है, जिस पर विद्यालय भवन बना हुआ है। प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 06.04.2018 में उक्त भूमि पर आबादी बसी होने का अंकन है। नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से मौके पर आबादी बसे होने के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त नामान्तरण की अपील करने की बजाय तहसीलदार द्वारा पुनः नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 भरकर तस्दीक कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। वरवक्त नामान्तकरण कार्यवाही अपीलांट व उनके बुजुर्गान को नही सुना गया। दिनांक 15.06.2018 कर्मचारियों द्वारा अपीलांट्स को बेदखल करने की कोशिश करने पर अपीलाधीन जानकारी हुई। उक्त अवैध एवं शून्य नामान्तकरण आदेश पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 को खारिज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि रा0उ0प्रा0 विद्यालय श्रीरामपुरा के लिए 7 बीघा 0 बिस्वा खसरा नंबर 322/1 द्वारा खेल मैदान भूमि आवंटित हुई। जिसका नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 भरा गया है। लेकिन नामजद 26 अतिक्रमियों द्वारा पूर्ण अतिक्रमण कर लिया गया था। जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई तथा विभागीय टीम द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है। इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हस्तगत अपील तहसीलदार फुलेरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 के विरुद्ध विचाराधीन है, जो रा0प्रा0 विद्यालय श्रीरामपुरा को खोल मैदान हेतु दिनांक 16.08.1962 को आवंटित की गयी थी। अपीलाधीन भूमि खसरा नं0 322 के संदर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी एवं मकानात बसे होने के कारण सर्वसम्मति द्वारा नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 20.02.1973 खारिज कर दिया गया था। नियमानुसार रा0उ0मा0 विद्यालय श्रीरामपुरा को उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिये थी। किन्तु तहसीलदार फुलेरा द्वारा उसी भूमि का उक्त नामान्तकरण संख्या 211 खारिज होने के उपरान्त पुनः आवंटन आदेश दिनांक 16.08.1962 का नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 तस्दीक कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 01.12.1978 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर